



हरियाणा HARYANA

51AA 767746

हल्फनामा

M/s Ramprastha Buildwell Pvt. Ltd. Plot No- 114, Sector- 44, Gurugram Tehsil & Distt Gurugram ओथराईज बजरिऐ श्री जनक सिंह पुत्र श्री रणबीर सिंह निवासी गांव डिढारा, जिला नूह का बजरिऐ बोर्ड रैजुलेशन दिनांक 26.11.2021 व M/s Ramprastha Infratech Pvt. Ltd. Plot No- 114, Sector- 44, Gurugram Tehsil & Distt Gurugram ओथराईज बजरिऐ श्री जनक सिंह पुत्र श्री रणबीर सिंह निवासी गांव डिढारा, जिला नूह बजरिऐ बोर्ड रैजुलेशन दिनांक 26.11.2021 व M/s S.A. Infradeveloper Pvt. Ltd. HN0 -310, Plot No - 4, Top Floor Vardman Taru Plaza, Block -Cu, Local Shopping Center, Pitampura New Delhi- 110034 ओथराईज बजरिऐ श्री सौरभ राणा गुरुग्राम का बजरिऐ बोर्ड रैजुलेशन दिनांक 26.11.2021 जो कि उपरोक्त सभी निम्नलिखित हल्फन ब्यान करते है। कि:-

हम अराजी जरई खेवट/खाता नं0 553/602, मुस्तील नं0 80, किला नं0 16(8-0), मु0 नं0 81 किला नं0 20/3(4-0), 21/2(3-12), मु0 नं0 89, किला नं0 1/1/1/2 (1-9), 2/1,(0-2), 2/3/1/2(2-11), किता 6, रकबा 19 कनाल 14 मरला की बरुवे जमाबन्दी साल 2016-17 वाका सिवाना मौजा वजीरपुर उपतहसील हरसरु जिला गुरुग्राम के हिस्से अनुसार मालिक व काबिज है हम अपनी अराजी जरई की बाहमी तकसीम करना चाहते हैं। तकसीम तफसील निम्न प्रकार से हैं:-



हरियाणा सरकार

Affidavit Attestation

Ramprastha Buildwell

न: 02982

तिथि: 02/12/2021

Identified By



MS RAMPRASTHA BUILDWELL PVT
LTD MS S A INF MS RAMPRASTHA
INFRATECH PVT LTD ETC THRU
JANAK SINGH SAURABH RANA

2982

Sr. No.	
Amount	
Purpose	
30 NOV 2021 R ADV	
Ravinder Kumar Stamp Vendor Gurugram (Haryana)	

1. M/s S.A. Infradeveloper Pvt. Ltd. को मु० नं० 81 किला नं० 20/3मिन पूर्व(2-4), 21/2(3-12), मु० नं० 89, किला नं० 1/1/1/2 (1-9), 2/1, (0-2), 2/3/1/2(2-11), किता 5, रकबा 9 कनाल 18 मरला सालम
2. M/s Ramprastha Infratech Pvt. Ltd. 113/196 Share & M/s Ramprastha Buildwell Pvt. Ltd. 83/196 Share मुस्तील नं० 80, किला नं० 16(8-0), मु० नं० 81 किला नं० 20/3मिन पश्चिम (1-16), किता 2, रकबा 9 कनाल 16 मरला है।
3. नये रास्ताजात की हमे कोई आवश्यकता नहीं है।
4. हम हल्फन ब्यान करते है कि रकबा कमी-बेसी 1 मरला तक कोई एतराज नहीं है। मौके पर तकसीम अनुसार कब्जा तब्दील कर लिया है।
5. हम हल्फन ब्यान करते है कि उपरोक्त अराजी मे तकसीम करते समय हस्ताक्षर करने के पाबन्द रहेगे। अगर हस्ताक्षर किसी कारण से नहीं होते है, तो यही हल्फनामा तकसीम मे शामिल समझा जावे। हम और हमारे वारसानो को कोई उजर व एतराज नहीं होगा।

तसदीक

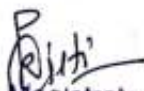


हम हलफन तसदीक करते है कि हमारे द्वारा दिया गया उपरोक्त ब्यान हमारे इलम वा यकीन से सही व दुरुस्त है। कोई तथ्य झुठा ना है।

102
SHIV KUMAR SINGH
Advocate
Distt. Courts, Gurugram

30/11/21

Attested as Identified


Executive Magistrate
Harsaru, Gurugram

